# समाहरणालय, बेगूसराय।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

# कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय।

## पुर्ननिविदा सूचना

### अल्पकालीन निविदा सूचना

बेगूसराय जिलान्तर्गत पशुओं के लिए आपदा की स्थिति में (बाढ़) सूखा चारा (गेहूँ भूसा एवं नेवारी कुट्टी) क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु वितीय वर्ष 2017--2018 के लिए पूर्व में निकाली गई निविदा से प्राप्त दर को अपरिहार्य कारणों से रद्ध करते हुऐ पुनः दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन के सातवें दिन के 5.00 बजे अपराह्ण तक द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आपूतिकर्ता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित प्राप्ति तिथि के दूसरे दिन 11 बजे पूर्वाहण में तकनीकि निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा। जिसमें निविदा दाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा दाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर तकनीकि निविदा समिति अपने विवेकानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। तकनीकि निविदा में सफल निविदा दाता का ही वितीय निविदा तकनीकि निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा की विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय के सूचना पट पर भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

बेगूसराय।

# कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय

बेगूसराय जिला अन्तर्गत सूखा चारा क्रय हेतु प्रकाशित निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है – निबंधित आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।

## तकनीकि भाग

1. चारा के दर तथा आपूर्तिकर्ता का निर्धारण सीलबंद द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकि निविदा तथा वित्तीय निविदा अंकित कर इनको एक बड़े सीलबंद लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। जिस पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय निविदा हेतु लिखित होना चाहिए।
2. निविदाऐं स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों–हाथ दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 07वें दिन के 5.00 बजे अपराह्न् तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
3. तकनीकि निविदा में पैन कार्ड का स्व–अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए।
4. निविदा के साथ रूपये 2000/–(दो हजार रू0) का डिमांड ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा। जो कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय के नाम से प्लेज्ड तथा बेगूसराय में भुगतेय होना चाहिए।
5. निविदा दाता को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी/अर्द्ध –सरकारी संस्थानों द्वारा बिहार अथवा अन्य राज्यों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
6. अग्रधन की राशि असफल निविदा दाता के अनुरोध पर लौटा दिया जाएगा।
7. सफल निविदा दाता का अग्रधन की राशि उनके द्वारा संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक रखी जाएगी।
8. अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नही होगा।
9. निविदा के साथ आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का सैम्पुल पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में मुहरबंद कर जमा करना होगा। आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा नमूना से मेल नहीं होने पर आपूर्ति नही ली जाएगी।
10. निविदा की सभी शर्तें मान्य है का प्रमाण पत्र देना होगा।
11. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत आपूर्ति नहीं होने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुऐ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. आपूर्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यून्तम एक दिन पूर्व देनी होगी।
13. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाऐगी।
14. एक से अधिक निविद दाता का न्यूनतम दर स्वीकृत होने पर विभिन्न आपूर्तिकर्ता के बीच आपूर्ति आदेश विभक्त किया जा सकता है।
15. जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. किसी भी प्रकार का वैद्यानिक मामला बेगूसराय जिला के क्षेत्राधीन होगा।

## वित्तीय भाग

1. संस्थान के गोदाम अथवा चिन्हित स्थानों तक पहुँचाकर, तौलवाकर एवं रखवा कर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना चाहिए।
2. अंकित दर के अलावा अन्य कोई भी राशि देय नहीं होगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बेगूसराय।